The questios was put and the motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER

MINIMUM SUPPORT PRICE OF COPRA FOR 1993 SEASON

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : Sir, I beg to lay on the Table a statement regarding Minimum Support Price of Copra for 1993 Season.

STATEMENT BY MINISTER

Draft Agriculture Policy Resolution

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : Sir, the second statement I wish to lay is regarding Draft Agriculture Policy Resolution. I beg to lay on the Table a copy each (in English and Hindi) of the Draft Agriculture Policy Resolution as modified and important suggestions made at the Chief Ministers Conference held on the 5th March, 1993.

Classification on the Statement by Minister Chakma Refugee Repatriation Agreement

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Now, there is another statement which was made earlier. There are certain names of Members who want to seek clarifications on the statemnt made by the Minister of State in the Ministry of External Affairs regarding Chakma refugee repatriation agreement. I think Mrs. Swaraj wanted to seek clarifications.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ (Haryana) : Sir, I will ask later. First, you call others.

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI): Smt. Kamla Sinha—not present; Shri G.G. Swell—not present Shri V. Narayanasamy.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : I am present, Sir, I will take only two minutes, not much time.

Sir, it is quite welcome that the Government of Bangladesh has agreed to take back the Chakma refugees who have infiltrated into our country. It was a burden on the Government of India to keep them in camps and give protection. In Bangladesh the situation was bad because of the turmoil existing there. So far as Chakma refugees are concerned, on the Indian borders, in hilly areas the same climatic conditions are prevailing. That is why they have migrated and entered into our territory. Bangladesh is now trying to get back those people who have come here and who have settled in hilly areas. But some of the Chakma refugees do not want to go out of the Indian territory for want of security there. I welcome the agreement signed between the two countries. The same problem is also with Myanmar which the hon. Minister knows fully well.

Though the refugees were sent back, they have come back to India, they are not going and they have been making a claim that if they go there, their life will be in danger. When you are negotiating with the Bangladesh Government in regard to the return of refugees who have come to India in large numbers and who have been housed in the border areas and when an enormous amount of money is being spent by the Government to keep them in hill tracts is the Governmen negotiating with the Myanmar administration for peaceful return of those people also ?

श्रीमती सुषमा स्वराज : धन्यवाद उपसभाध्यक्ष महोदय । जो मंत्री महोदय ने वक्तव्य 12 तारीख को सदन में रखा उसके अंतिम पैराग्राफ को उन्होंने इस तरह शुरू किया :

"As the hon. Members are aware, the primary concern of the Government of India is the quick repatriation of the tribal refugees to Bangladesh."

मुझे लगता है कि विवक रिपैट्रिएशन हम लोगों का प्राइमरी कन्सर्न नहीं होना चाहिए बल्कि उनका सेफ और सिक्योर रिपैट्रिएशन हमारा प्राइमरी कन्सर्न होना चाहिए। वे क्बाइली शरणार्थी, वे चकमा शरणार्थी जल्दी से वापस चले जाएं यह हमारी चिंता का विषय नहीं है बल्कि वे सुरक्षित अपनी जगह पर लौट जायें यह हमारी चिंता का विषय होना चाहिए। इस बात को देखने के लिए मैंने इस एग्रीमेंट के तमाम अनुबंधों को अच्छी तरह से पढ़ा और देखा लेकिन मुझे दुख: के साथ कहना पड़ता है कि इन तमाम अनुबंधों के तहत कहीं भी उनके रिलीजियस बिलीफ की सुरक्षा की गारंटी या उनकी इथनिक आइडेंटिटी की गारंटी न तो भारत सरकार ने ली और न बंगलादेश सरकार ने ली। ये लोग इन्हीं दो मसलों के कारण वहां से भागकर आये थे। आखिर वे यहां सिर्फ रोटी और कपड़े के लिए नहीं आये और रोटी और कपड़ा तो कोई बहुत स्तर का हम उन्हें मुहैया भी नहीं करा सके। अगर आप जाकर त्रिपुरा में उन शरणार्थी शिविरों को देखें तो बदहाली और बदइंतजामी की खुली कहानी वे शिविर कह रहे हैं। तो भी उन्होंने यहां रहना शुरू किया। वे यहां रहे हुए हैं तो महज इसलिए कि जानों-माल के साथ-साथ यहां उनको धार्मिक अनुपालना, उनको धर्म के अनुपालन की स्वतंत्रता प्राप्त है। उनकी जातीय पहचान बची हुई है और वहां उनके सिर पर धर्मांतरण की तलवार लटकी हुई है। आज भी वहां धमकी और लालच इन दोनों चीजों का प्रयोग धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। वहां चकमा लड़कियां बंगलादेशी लड़कों से विवाह करें इनके लिए इन्सेंटिव रखे हुए हैं। तो जब तक यह माहौल बंगलादेश में निर्मित नहीं हो जाता कि वे अपनी धार्मिक आस्थाओं की अनुपालना स्वतंत्रता से कर सकें, उनकी जातीय पहचान चकमा के तौर पर बौद्ध धर्मावलम्बियों के तौर पर बची रहे तब तक उनको यहां से भेजना उनके साथ अन्याय करना होगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि ये जो दो प्रमुख मसले हैं जिनके कारण वे भागकर आये थे रिलीजियस बिलीफ की सुरक्षा की गारंटी और उनकी इथनिक आइडेंटिटी की सुरक्षा की गारंटी इसके बारे में भारत सरकार मौन क्यों रही और इसके बारे में भारत सरकार ने उनसे कोई आश्वासन क्यों नहीं लिया और इस आश्वासन के अभाव में क्या उन्हें वापस बंगलादेश भेजना सही होगा, यह मेरा पहला सवाल है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है आपसे कि आपने इसमें कई जगह यह लिखा है कि बंगलादेश सरकार उनको रिहाइशी जायदाद वापस कर देगी। उनके मकान उनको लौटा देगी, उनको मकान बनाने के ऋण दे देगी। लेकिन क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि वहां कर्णफली नदी पर एक काप्ताई नामक बांध बना है जिसके कारण चकमाओं के गांव के गांव डूब गये हैं, मकान और जायदाद लौटाना तो बाद की बात है। पूरे गांव उनके डूब गये। जो बचे हैं उनमें बिजली नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि कागज पर तो आश्वासन उन्होंने बंगलादेश सरकार से लिये हैं लेकिन उन आश्वासनों की पूर्ति को सुनिश्चित कराने के लिए भारत सरकार ने क्या कदम उठाया है और अगर उन आश्वासनों की पूर्ति नहीं होती तो उस सूरत में भारत सरकार क्या करेगी यह मेरा दूसरा प्रश्न है मंत्री महोदय से और मेरा तीसरा प्रश्न मंत्री महोदय से यह है कि ये जो चकमा शरणार्थी थे ये हमारी पहली समस्या नहीं थे। बंगलादेश के साथ सबसे बड़ी समस्या तो विदेशी घुसपैठियों की थी। इन लोगों ने तो थोड़ा बहुत हमारे सरकारी खजाने पर बोझ डाल रखा है लेकिन जो घुसपैठियों की समस्या है, यहां जो तस्करी के अड्डे बने हुए हैं, माफिया गिरोहों के सरगना है जो हमारे हिंदुस्तान की सांस्कृतिक और राजनतिक विरासत के ऊपर खतरा बनकर बैठे हैं तो इन जो तीन-चार चीजों का जिक्र आपने किया है कि उनके कम्युनिकेशन मिनिस्टर यहां आये हमारे सेक्रेट्री वहां गये, प्राइम मिनिस्टर सार्क के सम्मेलन में वहां गये, बंगलादेश की प्रधान मंत्री यहां आई, तो इन जो तीन-चार मौकों का आपने जिक्र किया है मैं पूछना चाहती हूं कि क्या इसमें केवल आपने चकमा शरणार्थियों की वापसी

का मसला उठाया । इसमें आपने विदेशी घुसपैठियों का मसला क्यों नहीं उठाया, विदेशी घुसपैठियों का भेजा जाना कहीं ज्यादा जरूरी है बजाये चकमा शरणार्थियों के भेजे जाने के क्योंकि मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगी, पता नहीं उन्हें जानकारी है या नहीं कि ये चकमा शरणार्थी चिटगांव हिल ट्रेक्ट के वे लोग हैं जिन्होंने 15 अगस्त, 1947 को हिंदुस्तानी तिरंगा फहराया था । इन्हें तो यह आभास दिया गया था कि चिटगांव हिल ट्रेक्ट आजादी के बाद हिंदुस्तान के हिस्से में दिये जाएंगे । पंजाब की फिरोजपुर तहसील पाकिस्तान को दी गई थी और यह चिटागांव हिल ट्रैक्ट हिंदुस्तान को दिया गया था । तो बाद में जो एक्सचेंज हुआ, उसमें हिल ट्रैक्ट तत्काल पूर्वी पाकिस्तान या आज के बंगलादेश में भेजा गया । यह लोग आपके साथ खड़े रहे हैं । यह बौद्ध धर्मावलम्बी हैं । इन लोगों को भेजने की तो आप जल्दी मचा रहे हैं, लेकिन जो विदेशी घुसपैठी आकर के हमारी संस्कृति और हमारी राजनीति में दखलंदाजी कर रहे हैं, उनके बारे में आपने कोई चर्चा नहीं की । अच्छा होता अगर आप कोई इस तरह का समझौता लेकर यहां आते, जिसके तहत विदेशी घुसपैठियों को निकाल पाने में हम लोग कामयाब होते, बजाय इसके कि चकमा शरणार्थियों के निकालने में ।

तो मैं आखिरी प्रश्न में माननीय मंत्री जी से एक आश्वासन चाहूंगी कि जब तक वहां यह माहौल निर्मित नहीं हो जाता कि वह अपनी धार्मिक आस्थाओं की पालना वहां स्वतन्त्रता से कर सकें, वह अपनी जातीय पहचान वहां बनाये रख सकें, तब तक आप कोई जोर-जबरदस्ती इनको वापिस भेजने में नहीं करेंगे, क्योंकि जब उन शरणार्थियों की चर्चा यहां पर आई है, अफगान रेफ्यूजीज यहां पर रह रहे हैं और इन लोगों को भेजने के लिये हम जल्दी मचा रहे हैं, तो कम से कम इस बात को सुनिश्चित करिए कि जब वह माहौल वहां पर निर्मित नहीं हो जाता, क्योंकि आपने तीस दिन की समय सीमा रखी है कि तीस दिन के अंदर आप इनको भेजना शुरू कर देंगे ।

लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन लेना चाहूंगी कि इन्हें भेजने में कोई जोर-जबरदस्ती भारत सरकार नहीं करेगी । पहले वहां उचित माहौल हो, उचित माहौल वहां निर्मित होना चाहिये। उनके जाने तक पहले वहां उचित माहौल सुनिश्चित करवाइयेगा और जब भारत सरकार को यह आश्वासन मिल जाए कि वहां उनकी जातीय पहचान वहां बनी रहेगी, इनको धार्मिक आस्थाओं को पालने की स्वतन्त्रता होगी, केवल तभी इनको भेजने की बात करिएगा ।

यही मेरे कुछ सवाल हैं, जिनका स्पष्टीकरण मैं मंत्री महोदय से चाहती हूं । धन्यवाद ।

SHRI MISA R. GANESAN (Tamil Nadu): Thank you, Sir. Sir, some 60,000 to 70,000 Chakma refugees are camped, mostly, in Tripura causing a tremendous burden on the fragile economy of the State. I understand, Sir, that Rs. 5.75 crores are being spent annually from the Indian exchequer on these refugees. An expenditure of Rs. 2.50 lakhs is being incurred every day. These people refuse to go back to the Chittagong Hill Tracts, which is their original home, because there is no guarantee that they would get back to their homes which are now under the illegal occupation of persons from the other parts of Bangladesh. In the Minister's statement, it has been stated that following the talks between the two delegations as well as their visit to the refugee camps, the delegations have agreed to the various demands. Actually, there is an association called the Jumma Refugees Welfare Association. I think they have presented a 13-Point Memorandum of Demands including rehabilitation of Jummas under the guidance of the Indian Government and international bodies like the United Nations. Their key demands are: (1) Safety and security of life and property of the Jummas, putting a stop to all types of atrocities and to the arresting of tribal youths as extremists. (2) A High Court judge to be appointed to enquire into the genocides of Palchari, Kagdachari, Dhighinala and Matiranga. (3) Land restoration, free ration for one year and restoration of jobs for those who

were working in Basgladesh before coming to India. (4) Stopping resettlement of the Muslim Bengalis and eviction of those who resettled there after the Jummas left. (5) Establishing Civil rule. (6) Full compensation to the kith and kin of those who have lost their lives due to atrocities by the Bangladesh army. (7) All one-sided judgements proclaimed in the absence of the Jummas by the Bangladesh Courts to be set aside. (8) To stop arrests and torture of those who were linked with Shanti Bahini. (10) All loans taken from the Krishi Bank or other Bangladesh banks be waived. These are some of the demands that have been presented to the hon. delegation. The Minister has mentioned in the statement that he had agreed to the various demands. I would like to know from the hon. Minister whether these demands have been included in the agreement which they have signed and I would also like to know about the steps that they are going to take in this matter. Thank you, Sir.

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh) : Sir, most of the questions I wanted to ask have already been asked by Shri Gaseshan. The Chakmas are the forgotten people of the South Asian sub-continent. Nearly 60 per cent of the Chakmas are languishing in the makeshift camps in Tripura. Of course, we are having our own problems. So these refugees must be repatriated expeditiously. For that we have to take some steps. At the same time, we have to ensure their safety and security. Just now, Mr. Ganeshan has said that the Jhumma Refugees' Welfare Association has submitted a memorandum to the Ministers who went there. I want to state the salient features of this memorandum because we have to discuss it on the basis of these demands. The first demand is, rehabilitation under the guidance of the Indian Government and the United Nations Organisation. This is its first demand. The second demand is, a High Court Judge should enquire into the genocide at Palchari and other places. This is the second demand. The third demand is, restoration of jobs to those employees who were working in Bangladesh before coming here. Then, the fourth demand is, to stop forceful conversion of tribals into Islam. The fifth demand is, establishment of civil rule. The sixth demand is, to stop resettlement of Muslim Bangalis and to stop arrest and torture of those who were linked with Shanti Bahini and to provide complete equality to the minorities. These are the main demands of the Jhumma Refugees' Welfare Association. I would like to know whether the Minister has taken up these matters with the Government of Bangladesh. This is my first question for clarification.

The second clarification that I want to seek is, after the Ayodhya incident of Decembet 6, 1992, there are acts of retaliation on the minorities in Bangladesh. There is, thus, a large influx of Bangladesh minorities into India and they are migrating to Delhi, Punjab and Gujarat and creating social problems in our country. I would like to know what action the Government is taking in this regard.

The third and last point is, what is the intelligence set-up there ? These are my three questions for clarification. (Ends).

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa) : Sir, all the refugees who were driven out of their homes are Buddhists and it is done the connivance of the Bangladesh Government. Their lands are now occupied by others. So, I want to know from the Minister whether the Bangladesh Governthere, that their safety, dignity and secupeople would be given their lands which they were holding previously; that their religion will not be disturbed if they go thereof that their safety, dignity and security will be protected, that those who are now is the refugee camps will be taken back. I want to know from the

Minister whether the Bangladesh Government has assured on these matters.

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, जैसेकि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा कि ये चकमा बुद्धिस्ट हैं और हमारे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर के धर्मान्तिरण किए जाने के बाद बुद्धिष्ट बनते जा रहे हैं । हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, बर्मा, थाईलैण्ड, कम्बोडिया, वियतनाम, जापान, चीन, तिब्बत, भूटान और नेपाल में भी ये बुद्धिष्ट लोग हैं । महोदय, अब एक वातावरण पिछले कुछ दिनों से बनता जा रहा है जिसमें मुस्लिम राष्ट्रों ने भारत के प्रति ऐसा रवैया अख्तियार किया है कि भारत के लिए अब यह उचित होगा कि वह बौद्ध राष्ट्रों से अपने संबंध अच्छे करें । तो इन चकमा बौद्धिष्टों के साथ यदि यहां से भेजने पर बंगलादेश में दुर्व्यवहार हुआ और इनके धार्मिक स्थान जिन्हें कि बौद्ध विहार कहा जाता है, अभी थोड़े दिन पहले बंगलादेश में बुद्ध विहार तोड़े गए थे तो अगर वह तोड़ दिए गए हैं और रिपेअर नहीं हुए हैं, नहीं बनने दिये हैं तो इसका असर सारे बौद्ध संसार पर पड़ेगा और इसका बुरा असर भारत पर भी पड़ेगा । इसलिये मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि अगर आपने बंगलादेश का विश्वास कर लिया कि वह इनके धार्मिक स्थानों को सुरक्षित रखेंगे और बनाकर देंगे, फिर आपने इन्हें वापिस भेज दिया और अगर बंगलादेश ने इनके धर्म स्थान व इनकी संपत्तियां इन्हें नहीं दी और इनके दूसरे मामले नहीं निपटाए तो उस पृष्ठभूमि में यह जो तीन बीघे का अनुबंध जिसने कि भारत के लिए खतरा पैदा कर दिया है, आप उसे निरस्त करेंगे और अगर बंगलादेश उसे खाली नहीं करेगा तो जबर्दस्ती उससे खाली करवायेंगे ।

आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SALMAN KHURSHEED) : Thank you, Sir. At the outset, may I record my gratitude to all the honourable Members who have sat up so late to express their concern which we all feel and share equally about the welfare and safety of the Chakma refugees, almost 65,000, who have been on our soil as our guests for the last eight years and who, we all hope, in the near future will be returning to their own homes.

Sir, some doubt has been expressed by the honourable Members as to whether we have taken sufficient precaution and we have sufficiently satisfied ourselves about the safety, security and dignity of the Chakma refugees on their return to their own homeland, to the Chittagong Hill Tracts.

इसमें सबसे पहले सुषमा स्वराज जी ने जो प्रश्न रखे हैं और जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उनका हमारे वक्तव्य में दिए अनुसार तत्काल इन शरणार्थियों को वापिस भेजने के बारे में है, मैं उन्हें आश्वस्त कराना चाहता हूं कि तत्काल हम उनको भेजना चाहते हैं और तत्काल वह जाना चाहते हैं, परन्तु उनके तत्काल जाने को हम इस हद तक नहीं करेंगे कि उनकी सेफ्टी, सेक्यूरिटी या उनके वहा पर इज्जत से वापिस लौटने की जो बात है, उसको नजरंदाज कर दें । हमारा प्रयास यह था कि यह बातचीत बंगलादेश के डेलीगेशन, बंगलादेश से आए केन्द्रीय मंत्री और शरणार्थियों के बीच में आपस की बातचीत हो । हमने यह माना है कि वह एक परिवार के हैं, हमने यह माना है कि वह एक देश के हैं और हम सिर्फ इस हद तक मदद कर सकते हैं कि किसी ने आकर हमारा दरवाजा खटखटाया, कोई मुसीबत में था, किसी को हमारी मदद चाहिये थी और हमने प्रयास किया कि हम उसको मदद दे सकें । फिर जो सुषमा स्वराज जी ने कहा कि वहां जो शिविर लगे हैं और जिनमें ये शरणार्थी पिछले 8 साल से सिर छिपाए हुए हैं, उनकी हालत देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि कोई खुशी-खुशी इन शिविरों में आकर रहेगा । उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात को कहने में हर्ष है कि वहां जो 6 शिविर हैं, उनमें से 3 को मैं खुद अपनी आंखों से देखकर आया हूं जिनमें मैं कर्नल अली अहमद के साथ गया था । उन शिविरों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी हालत या जिन कंडीशंस में उनको रखा गया है वह कंडीशंस किसी तरह से शरणार्थियों की कंडीशंस है या वह कंडीशंस

उन लोगों की सेहत पर या उनके वेलफेयर पर बुरा असर डालती हैं ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : वी० आई० पी० की विजिट के समय जैसी लीपा-पोती कर दी जाती है वैसी कर दी होगी ।

श्री सलमान खुर्शीद : जी नहीं ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : वरना हमारे यहां के सांसद वहां गए हैं और यहां भी प्रश्नों में शंकर दयाल जी ने खुद बताया है कि किस बदहाली में वह लोग रह रहे हैं। जब आपकी विजिट थी और कर्नल अली अहमद की विजिट थी तो उस दिन तो होना ही था रंग रोगन । उस दिन लीपा-पोती सब पर कर दी होगी ।

श्री सलमान खुर्शीद : वह शिविर इतने बड़े हैं कि रंग रोगन, लीपा-पोती से आप वहां के दाग छुपा नहीं सकते। वहां के बच्चों से बात हुई, वहां की महिलाओं से बात हुई और मेरा अपना यह मानना है कि जिस हद तक एक शरणार्थी को खुश रखा जा सकता है, सुखी रखा जा सकता है, उस हद तक हमने उन शरणार्थियों को सुखी रखा है । लेकिन, शरणार्थी शरणार्थी ही होता है, अपने घर से दूर ही होता है । इसलिये उन्होंने प्रकट किया कि हम जल्द से जल्द अपने घर को जाना चाहते हैं । हम यह चाहते थे कि यह निगोशिएशन यह बातचीत हमारे और बांगला देश के बीच में न हो बल्कि उनके और उनके अपने देशवासियों के बीच में हो । जो बातचीत हमारी हुई थी वह प्रधानमंत्री के स्तर पर हुई थी। हमारे प्रधानमंत्री ने बांगला देश के प्रधानमंत्री से दो दफा इस पर बातचीत की थी और बांगला देश के प्रधानमंत्री ने यह वादा किया था कि वह एक पोलिटिकल लेवल की कमेटी बनाएंगे, जिसमें हर पार्टी के एम०पीज० होंगे और इस वादे को निभाते हुए उन्होंने छह पार्टी से मल्टीपार्टी टीम एम०पीज० की बनाकर कर्नल अली अहमद के साथ भेजी थी और इन लोगों ने आमने सामने सबसे बात की थी यह बात सही है ।

Sir, as we were told by the hon. Member, Shri Ganeshan, a memorandum has been submitted directly to the Minister from Bangladesh, and a copy of that memorandum was handed over to us, and it is on our record. But no preconditions were laid down by the refugees about their return to Bangladesh. And we also have made it very clear and this is clear in the agreement as stated in the statement before the House—that we will not use force, compulsion or any kind of unreasonable persuasion to push the refugees back across the border. We will only make available all necessary facilities and conveniences that may be found necessary to take them up to the border from where the Bangladesh authorities have to receive them. Sir, since there is some doubt about the extent to which there is an assurance from Bangladesh and the extent to which we can accept the assurances given by Bangladesh as being reliable because they concern security and safety and dignity of the Chakma refugees, we have worked out the modalities. And I am pleased to tell the House that we have been able to work expeditiously, and on 19th May a team, headed by the Home Secretary of Bangladesh Government will arrive in Agartala and from Agartala will proceed to the camps and will talk directly to these people about the detailed modalities of transferring them from the Indian territory to the Chittagong Hill Tracks. The agreement already provides that their own homes and their own lands will be given back to them. To the extent that Shrimati Sushma Swaraj feels that some of these properties may not be available because of the building of a dam and the creation of a reservoir, we have no specific information, nor was any information, any doubt raised by any of the Chakma refugees. As far as we are concerned, we have been told that their own lands and homesteads will be returned to them when they get back there and they will be given whatever other rehabilitation grants and support are necessary. Sir, we believe in the formulation that they will be returning in safety, security and dignity. We are, in fact, covering all

eventualities including the eventuality of non-interference with their religious practices. And no further doubts about this were expressed in front of us as they mixed freely and talked freely amongst themselves. Sir, it will be necessary when the team arrives from Bangladesh and goes and works on modalities –and we have also suggested to them—that, perhaps, the convenient way of doing this would be to take a small team of Chakma refugees across the border first to show them what facilities have been arranged, to show them what arrangements have been made about the transfer of property. Perhaps, some of the Headmen of the villages can travel across to ascertain that the property will be made available to people in their villages, and then they can come back and persuade the rest of the people to go. I am quite certain that it is very clear to both sides that no compulsion, no force is to be used to push them across the border, and they will go on their own volition, own choice and by their own consent.

On this, the Government of India is very clear. However, once they cross the border and return to their own country, their own government, the responsibility has to be that of Bangladesh Despite all our concern, despite all our sensitiveness to their future and the prospects and they have in Bangladesh, it will not be possible for us to monitor and control whatever happens inside Bangladesh where we cannot interfere in their internal matter as it would then be for Bangladesh. Of course, our concern and our moral support for a democratic and dignified existence of Chakma refugees, specially because of the special relationship enumerated by all the Members including by Shrimati Sushma Swaraj, will require us to watch them with interest and to keep up whatever dialogue is necessary with Bangladesh on this.

In Addition गौतम जी ने और दो-तीन बातें उठाई थीं और एक बात यह थी कि जो लोग घुसपैठिए हैं और जो बात सुषमा स्वराज जी ने भी उठाई है कि जो घुसपैठिए हमारे देश में आ गए हैं और शायद 6 दिसम्बर के बाद कुछ सरहदी क्षेत्र में, सीमा के क्षेत्र में ऐसे घुसपैठिए ज्यादा आ गए होंगे जो हादसे वहाँ हुए हैं उसकी वजह से । तो उस संबंध में मुझे यह कहना है कि हम यहां पर एक व्यापक समस्या का समाधान करने के लिए नहीं खड़े हुए हैं, एक स्पेसिफिक समस्या थी चकमा रिफ्यूजीस की और चकमा रिफ्यूजीस में भी सिर्फ उनकी जो त्रिपुरा के शिविर में हैं, उनकी नहीं जो असम में या अरूणाचल प्रदेश में या कहीं और हैं । उस समस्या पर अभी कोई बात नहीं हुई है । होम मिनिस्ट्री इस पर चिंतन करेगी और विचार करेगी कि जो घुसपैठिए हैं, उनको किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए और उस पर हमको क्या कदम उठाने चाहिएं या कदम उठाने पड़ेंगे । जिस तरह से भी होम मिनिस्ट्री हमको एडवाइज देगी, या हमसे कहेगी हम उसी तरह से इस बात को बंगला देश के साथ या आस-पास के और देशों के साथ लेने को तैयार रहेंगे और पूरी तरह से तथा पूरी कोशिश से हम इस बात को हल करने का प्रयास करेंगे । जो म्यांमार के रिफ्यूजीस की बात उठाई गई है, हमारी सूचना यह है कि वे करीब 800 रिफ्यूजीस हैं, लेकिन वह सीमा का क्षेत्र ऐसा है, जंगल का क्षेत्र है, इसलिये कहा नहीं जा सकता कि किस वक्त, कैसे, कितने घुसपैठिए आ गए हैं, तब भी हमारा पूरा प्रयास है और हमारे बलों का और हमारी सेना का यह प्रयास रहता है कि घुसपैठिए अंदर न आ पाएं और अगर कोई घुसपैठिए आते हैं तो उनकी सूचना सरकार को पूरी दी जाए और तत्काल कार्रवाई की जाए ।

सर, पिछले माह जब ढाका में हमारे विदेश मंत्री दिनेश सिंह जी की बात बंगला देश के विदेश मंत्री से हुई थी तब उसमें इस बात को बंगला देश के सामने रखा गया था । अभी बंगला देश के साथ और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हमें बात-चीत करनी है । बंगला देश और हममें कुछ समस्यायें ऐसी हैं जिनका समाधान आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता, जैसे पानी की समस्या है । लेकिन हमारा प्रयास यह है कि जो छोटी-छोटी समस्यायें हैं, उनको हम बात-चीत के जरिए दूर करते जाएं ताकि एक ऐसा वातावरण बनता जाए जिससे कि

जो बड़ी समस्याएं हैं, उनका भी हल ढूंढने में हम लोगों को आसानी हो।

सर, इसके साथ ही मैं समझता हूं कि जितने प्रश्न उठाए गए थे, उन सबका जवाब आ गया है और मैं समझता हूं कि सारे सदस्यगण इससे संतुष्ट हो गए होंगे। सिर्फ एक आखिरी बात इतनी जरूर रह जाती है कि यह 30 दिन के अंदर-अंदर इन शरणार्थियों के वापिस जाने की जो बात रखी गई है, वह मैं साफ कर देना चाहता हूं कि 30 दिन की मोहलत जो है, वह सिर्फ प्रयास शुरू करने की है, आरंभ करने की है, उसका मतलब यह नहीं है कि हम 30 दिन होते ही शरणार्थियों को वापिस भेजना शुरू कर देंगे।

लेकिन हम यह नहीं चाहते थे कि इसको एक लम्बे समय तक पड़े, रहने दिया जाए, 30 दिन कहने की वजह से और उनकी टीम को 19 तक आ जाने की कहने की वजह से। टीम 19 तारीख को आ जाएगी और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि 19 और 30 तारीख के बीच में काफी कार्य हो जायेगा और हमारे प्रयास कामयाब हो जाएंगे और जल्द से जल्द यह शरणार्थी अपने घर को लौटेंगे और हम यह कह सकेंगे कि हमने एक ह्यूमेनिटेरियन कॉज को पूरा किया है जो पड़ौसी की एक जिम्मेदारी होती है। उस पड़ोसी की जिम्मेदारी को हमने पूरी तरह निभाई है। इसी के साथ मैं सारे संसद सदस्यों का आभारी हूं कि वे इतनी देर रात तक बैठे और हमारे पड़ौस से आए चकमा शरणार्थियों के भविष्य के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए इतना समय दिया। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं।

VALEDICTORY REMARKS

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : Hon. Members, I have to discharge the very pleasant duty of making the valedictory remarks.

As you know, the second part of the Budget Session is coming to an end. Before I adjourn the House sine die, I, on behalf of the panel of Vice-Chairmen, and on my own behalf, thank all hon. Members for the kind co-operation extended by them.

In all, we had 14 sittings lasting almost 100 hours. Apart from the consideration and return of the Appropriation and Finance Bills, we discussed the General Budget, the working of the Ministries of Commerce and Industry, and approved the Statutory Resolutions seeking extension of President's rule in the States of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Himachal Pradesh.

During the Session, the reports of the Department related Standing Committees were laid on the Table of the House, along with various other reports. Members raised matters of public importance through 90 Special Mentions. Besides these, we also had Calling Attention Motions on NTC mills, the situation in Kashmir, and bank fraud by Progressive Construction Limited. A short-duration discussion on the Verma Commission of Inquiry was taken up today.

I would like to take this opportunity to place on record our appreciation of the significant contributions made by Members from the States of Goa and West Bengal who are retiring in July, 1993.

Once again, I thank all hon. Members, leaders of the various parties and groups, for the kind co-operation extended by them in conducting the proceedings of the House.

[Then, the National Song (Vande Matram) was played].

THE VICE-CHAIRMAN (SYED SIBTEY RAZI) : The House is now adjourned sine die.

The House then adjourned sine die at fifty-four minutes past ten of the clock.